कारोबार में बाप के साथ संतान की साझेदारी

उन्नीसवां फ़िक्ही सेमिनार (हांसोट, गुजरात) दिनांक 27-30 सफ़र 1431 हिजरी, 12 - 15 फ़रवरी 2010 ई॰ को आयोजित हुआ।

1- इस्लामी शरीअत ने मुसलमानों को मामले की सफ़ाई का विशेष ध्यान दिलाया है इसलिए मुसलमान अपने समाज में मामलों की सफ़ाई का विशेष आयोजन करें, विशेषकर तिजारत और कारोबार में उसका महत्व बहुत ही अधिक है। एक व्यक्ति तिजारत कर रहा है और उसकी संतान भी उस कारोबार में साथ है तो जो बेटे बाप के साथ कारोबार में लग रहे हैं उनकी हैसियत (साझी या सहायक के रूप में) आरंभ से ही निश्चित हो जाए तो परिवारों में सम्पत्ति की दृष्टि से जो विवाद होते हैं उनका बडी हद तक निवारण हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार के मामलों में पहले से हैसियत निश्चित करने का आयोजन किया जाए।

2- यदि बाप ने अपनी पूंजी से कारोबार आरंभ किया बाद में उसके लडकों में से कुछ साझी हो गए, मगर अलग से उन्होंने अपनी कोई पूंजी नहीं लगाई और बाप ने ऐसे लडकों की कोई हैसियत निश्चित नहीं की, तो यदि वे लडके बाप के लालन पालन में हों तो इस सूरत में वे लडके बाप के सहयोगी माने जाएंगे और यदि बाप से अलग स्वंय खा पी रहे हैं तो अमूमन जो काम का मेहनताना हो सकती है वह उनको दी जाए।

3- यदि बाप के साथ बेटों ने भी कारोबार मे पूंजी लगाई हो और सबकी पूंजी मालूम हो कि किसने कितनी लगाई है तो ऐसे बेटों की हैसियत बाप के साझियों की होगी, और पूंजी की मात्रा के अनुपात से साझादारी मानी जाएगी, सिवाए इसके कि पूंजी लगाने वाले बेटे की नीयत बाप के संयुक्त कारोबर के सहयोग की हो साझेदरी की नहीं।

4- यदि कारोबार किसी लडके ने अपनी ही पूंजी से आरंभ किया हो लेकिन सम्मान हेतु दुकान पर बाप को बैठाया हो या अपने बाप के नाम पर दुकान का नाम रखा हो तो इस सूरत में कारोबार का मालिक लडका होगा। बाप को दुकान पर बिठाने या उनके नाम पर दुकान का नाम रखने से कारोबार में बाप की सम्पत्ति व साझेदारी साबित न होगी।

5- बाप की मौजूदगी में यदि बेटो ने अपने तौर पर कमाने के विभिन्न साधन अपनाए और अपनी कमाई का एक भाग बाप के हवाले करते रहे तो इस सूरत में बाप को अदा की गई पूंजी बाप की सम्पत्ति मानी जाएगी।

6- यदि किसी कारण बाप का कारोबार समाप्त हो गया लेकिन कारोबार की जगह बाक़ी हो, चाहे वह जगह अपनी व्यक्तिगत हो या किराए पर हासिल की गयी हो और सन्तान में से किसी ने अपनी पूंजी लगाकर उसी जगह और उसी नाम से दोबारा कारोबार आरंभ किया तो इस स्थिति में जिसने पूंजी लगा कर कारोबार आरंभ किया, कारोबार उसकी सम्पत्ति होगी, बाप की सम्पत्ति नहीं होगी, लेकिन वह (चाहे व्यक्तिगत हो या किराए पर ली गयी हो) दोबारा कारोबार आरंभ करने वाले की नहीं बल्कि उसके बाप की होगी और बाप की

मौत की सूरत में सभी का उसकी विरासत में हक़ होगा और इसी तरह करोबार का गुडविल भी बाप का हक़ है और उसकी मौत के बाद सभी वारिसों का हक होगा।

7- इस विषय से सम्बन्धित समाज में घटित होने वाले विभिन्न मसायल हैं जिनको स्पष्ट करने और स्वयं मुसलमानों को उनसे अवगत कराने की ज़रूरत है, इसलिए अधिवेशन अकेडमी से अपील करता है कि वह इस सिलसिले में एक विस्तृत मार्गदर्शक रिपोर्ट तैयार करें और इनमें जो मसायल शोध योग्य हों यथा गुंजाइश भविष्य में होने वाले सेमिनारों में इन्हे सामूहिक सोच विचार के द्वारा तय करें।

8- इमामों, ख़तीबों और उलमा किराम से अपील की जाती है कि वे अपने अपने क्षेत्र में मामलों की सफ़ाई के सिलसिले में लोगों के मन मस्तिष्क को हमवार करें और शिरकत व मीरास आदि के जो शरई नियम व आदेश हैं उनको उनसे अवगत करें, विशेष रूप से माँ बाप, सन्तान, भाइयों और पति पत्नी के बीच साझे के मसायल से अवगत कराएं।

☆☆☆